अब टेण्डर के झंझट से मुक्ति

जयपुर @ पत्रिका

patrika.com/city

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गांवों और शहरों में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को टेण्डर प्रक्रिया में राहत देने के लिए 'राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम' के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद छोटे-छोटे विकास कार्यों को सम्पादित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्येक छोटे-बड़े काम के लिए टेंडर की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नियमों में संशोधन के बाद अब पंचायती राज संस्थाएं एवं स्थानीय निकाय निविदा के साथ-साथ बीएसआर दरों पर भी कार्य करवा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने 13 दिसम्बर को आयोजित 'विकास संकल्प समारोह' में इस संबंध में घोषणा की थी।

यह कार्य हो सकेंगे

ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद नोटिफाइड कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से बीएसआर दरों पर सड़क, पेयजल, निर्माण आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करा सकेंगी। नई व्यवस्था में ग्राम स्तर पर गठित जल-ग्रहण समितियां, भू-संरक्षण समितियां तथा स्वयं सहायता समूह के साथ-साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीएचईडी और सिंचाई विभाग आदि भी कार्यकारी एजेंसी के रूप में शामिल हैं।